# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

**अपील संख्या :– 4295/2022**
बजरंग लाल माली

**–अपीलार्थी**

**बनाम**

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. मुख्य अभियंता (प्रशासन), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. अधिशाषी अभियंता, जिला डिवीजन–।।।, (ग्रामीण), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, दूदू, जिला जयपुर।

**–प्रत्यर्थीगण**

**आदेश की दिनांक** : 13.12.2023

**उपस्थिति :–**
अपीलार्थी की ओर से : श्री सी.पी. शर्मा, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

**समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)**
**लेखराज तोसावड़ा, सदस्य**

## आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी ने निम्न प्रकार से प्रार्थना की हैः–

> "It is, therefore, prayed that this appeal may kindly be allowed and further by an appropriate order thereby:-
>
> (i) The respondents be directed to absorb or allow the status to appellant on post of Helper in view of various government administrative directions/notifications/circulars along with all consequential benefits with interest of 12% per annuam.
>
> (ii) Any other order or direction which this Hon'ble court deems fit, just and proper in the facts and circumstances of the case in favour of the appellant."

2. उल्लेखनीय है कि पूर्व में अपीलार्थी ने इसी प्रार्थना के साथ इस अधिकरण के समक्ष अपील संख्या 783/2016 बजरंग लाल माली बनाम प्रमुख शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग प्रस्तुत की थी, जिसमें इस अधिकरण ने आदेश दिनांक 31.05.2016 पारित कर उक्त अपील निर्णित की थी। जिसमें निम्न प्रकार से आदेश पारित किया गया थाः–

> '' अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक श्री प्रदीप सिंह उपस्थित। उनको अपील की ग्राह्यता पर सुना गया।
>
> अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने यह प्रार्थना की है कि इस अपील में चाहें गये अनुतोष के बारे में वह एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहता है, जिसे प्रत्यर्थी विभाग माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय हे द्वारा एस.बी. सिविल रिट पिटिशन नं0

4312/1997 विरेन्द्र सिंह एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 11.03.2010 का हवाला देते हुए समान तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत अपील में आदेश पारित करने की प्रार्थना की है।

अतः अपील अपीलार्थी इस निर्देश के साथ निस्तारित की जाती है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी को अधिकरण के आदेश की प्रतिलिपि प्राप्त होने की दिनांक से 15 दिवस की अवधि में अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिये जाते हैं कि यह अपीलार्थी का अभ्यावेदन प्राप्त होने की दिनांक से एक माह की अवधि में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा एस.बी. सिविल रिट पिटिशन नं0 4312/1997 विरेन्द्र सिंह एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 11.03.2010 को मध्यनजर रखते हुये अभ्यावेदन का निस्तारण करें।

यदि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आदेश से व्यथित रहता है तो अधिकरण के समक्ष नये सिरे कार्यवाही करने के लिये स्वतंत्र होगा।

अपील अपीलार्थी उपरोक्त निर्देशों के साथ निस्तारित की जाती है। ''

3. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी ने उक्त आदेश की पालना में अपना अभ्यावेदन (अनुलग्नक–ए/2)प्रत्यर्थी विभाग को प्रस्तुत किया था। परन्तु प्रत्यर्थी विभाग ने उक्त अभ्यावेदन पर कोई निर्णय पारित नहीं किया है। इस कारण से अपीलार्थी ने अपील प्रस्तुत की है। हम यह पाते हैं कि अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील मे अधिकरण द्वारा अपीलार्थी के अभ्यावेदन को निस्तारित करने के लिये आदेश पारित कर चुका है, जिसका अभी तक निस्तारण नहीं करना बताया गया है, जो उचित नहीं है। ऐसे में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों देखते हुए विभाग के सक्षम प्राधिकारी को को यह निर्देश दिये जाते है कि वह अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन (अनुलग्नक–ए2) राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 6 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

4. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

**(लेखराज तोसावड़ा)**
**सदस्य**

**(अनन्त भंडारी)**
**सदस्य (न्यायिक)**